

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

18

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल।
प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।
निदेशक, आई०जी०आई०सी०, पटना।
निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।
निदेशक न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना।
निदेशक, राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना।
निदेशक, पी०एच०आई०, पटना।
अधीक्षक, गुरुगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना।
अधीक्षक संक्रमांक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना।
अधीक्षक, टी०बी०डी०सी०, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- परिवाद संख्या-2/लोक (स्वा०)-12/2013 में दिनांक-29.08.18 को माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-243(प्रो०को०), दिनांक-28.09.2018 का निदेश किया जाय। कर्मचारियों/पदाधिकारियों का 01.02.2019 तक लम्बित ACP/MACP/DACP के सभी मामलों का अद्यतन प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय को सीधे उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एतदर्थ वांछित प्रतिवेदन अप्राप्त है। विदित हो कि उक्त वाद में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-01.02.2019 को निर्धारित की गयी है।

अनुरोध है कि वांछित अद्यतन प्रतिवेदन सीधे लोकायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वसभाजन
28/09/18
(अनिल कुमार)

ज्ञापांक- 18 (प्रो०को०)/लोक०-01-01/2015- पटना, दिनांक- 17.12.18

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-7073 दिनांक-07.09.2018 के प्रसंग में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-243(प्रो०को०) दिनांक-28.09.2018 की छाया प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव के निजी सहायक/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17 एवं 18 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।